न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती पार्थवी, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 80A / 22 GCMS Id : 2022 / 143

1. रवि प्रकाश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा
2. राहुल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा

जाति ब्राम्हण, निवासीगण मकान नम्बर 552, केशवपुरा सेक्टर–7, कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1. मोडी बाई पत्नी कृपा शंकर
2. कृपा शंकर पुत्र भंवरलाल
3. रामावतार पुत्र कृपा शंकर
4. शम्भूदयाल पुत्र कृपा शंकर
5. श्याम बिहारी पुत्र कृपा शंकर

जाति धोबी, निवासीगण 143, वार्ड नं. 5, ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट

बाबत बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थिति : श्री हुकम चन्द जैन, अभिभाषक वादीगण

निर्णय

दिनांक : 09.01.2023

1- वादीगण की ओर से एक वाद, अन्तर्गत धारा 183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 बाबत बेदखली व स्थायी निषेधाज्ञा, पेश किया गया।

2- *वादीगण द्वारा अपने वादपत्र अन्तर्गत धारा 183, 188 R.T.A. में निवेदन किया गया कि –*

≈ ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1124, 1126 कुल किता 2 रकबा 2.40 हैक्टर वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी है।

≈ वादीगण की उपरोक्त आराजीयात में से दक्षिण दिशा की एक बीघा आराजी पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है।

≈ इस सम्बन्ध में वादीगण द्वारा दिनांक 28.07.2021 को तहसीलदार, लाडपुरा को एक प्रार्थना पत्र देने पर दिनांक 30.07.2021 को हल्का पटवारी ने रिपोर्ट पेश की जिसमें वादीगण की आराजी पर जबरन रास्ता बनाकर कब्जा किया हुआ बताया गया है तथा गेट लगाया हुआ है जिसमें गाय, भैंसे मवेशी बांधते है और इससे फसलों को नुकसान होता है जबकि राजस्व रिकार्ड में उक्त भूमि पर आम रास्ता दर्ज रिकार्ड नही है।

≈ वादीगण की उक्त आराजी पर कोट हो रहा है जिसके अन्दर से एक बीघा आराजी पर कब्जा करके लोहे की फाटक लगा ली है।

≈ वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर आमादा होते है तथा झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देते है। प्रतिवादीगण उक्त कब्जेशुदा आराजी पर तार फेन्सिंग करने पर आमादा है।

≈ वादीगण के लिये यह अत्यन्त आवश्यक हो गया है कि प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय की सहायता से उक्त कब्जाशुदा आराजी से बेदखल करवाये तथा कब्जा प्राप्त करें एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द करवायें कि वह वादीगण की आराजी पर किसी प्रकार की तार फेन्सिंग नहीं करे और न ही अन्य तरह से अनाधिकृत कृत्य करें।

≈ वाद कारण दिनांक 29.07.2021 को वादीगण की आराजी पर जबरन कब्जा करने तथा कब्जा छोंडने की कहने पर मारपीट पर आमादा होने तथा अन्तिम बार दिनांक 15.10.2022 को उक्त अनाधिकृत कब्जे को मना करने पर मारपीट पर उतारू होने पर उत्पन्न हुआ।

≈ वाद अवधि मध्य व उचित न्यायशुल्क पर प्रस्तुत है। प्रस्तुत वाद का श्रवणाधिकार व क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है।

≈ अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जावे तथा वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में व्यवधान नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

≈ वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी की नकल जमाबन्दी संवत 2071–2074(प्रदर्श–1) तथा नकल मौका रिपोर्ट हल्का पटवारी(प्रदर्श–2) पेश की गई।

3- न्यायालय में पेश दावे के प्रतिवादीगण की तलवी हेतु जर्ये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा, नियमानुसार तलवी सम्मन जारी किये गये। न्यायालय से सम्मन प्राप्त होने पर प्रतिवादीगण ने सम्मन लेने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा नोटिस लेने से इन्कार करने के आधार पर सिविल प्रक्रिया संहिता के निहित प्रावधानों की अनुपालना में प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

4- प्रकरण के बहस में आने पर वादीगण के विद्वान अभिभाषक की बहस अन्तिम सुनी गई। वादीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र 183, 188 R.T.A. के कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बनियानी के खसरा नम्बर 1124, 1126 की 2.40 हैक्टर, वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की आराजी है। इसके दक्षिण दिशा की एक बीघा आराजी पर प्रतिवादीगण ने जबरन कब्जा कर लिया है। इस सम्बन्ध में वादीगण के प्रार्थना पत्र पर दिनांक 30.07.2021 को पेश पटवारी रिपोर्ट में वादीगण की आराजी पर जबरन रास्ता बनाकर कब्जा किया हुआ बताया गया है तथा गेट लगाया हुआ है जिसमें जानवर है जबकि रिकार्ड में उक्त भूमि पर आम रास्ता दर्ज नहीं है। प्रतिवादीगण ने उक्त आराजी के अन्दर से एक बीघा आराजी पर कब्जा करके लोहे की फाटक लगा ली है। वादीगण द्वारा मना करने पर प्रतिवादीगण लडाई झगडा करते हैं तथा झूंठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां देते है। अतः निवेदन है कि वाद वादीगण स्वीकार कर प्रतिवादीगण को विवादग्रस्त आराजी से बेदखल किया जाने तथा वादीगण के शान्तिपूर्वक कब्जे काश्त में व्यवधान नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे।

5- हमने उभयपक्ष के अभिभाषकगणों की बहस प्रार्थना पत्र के कथनों पर मनन किया और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 183, 188 के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का उनके गुणावगुण (Merits) के आधार पर आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अधिनियम की धारा 183 उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो भूमिधारी की वैध अनुमति के बिना भूमि पर कब्जा बनाये रखते है तथा जो व्यक्ति बिना अनुमति के भूमि पर काबिज रहता है, वह अतिक्रमी है। और एक बार वादी यदि यह सिद्ध कर देता है कि वह खातेदार है, वादी को अपना दावा सफल करने के लिये यह साबित करना पडेगा कि प्रतिवादी अतिक्रमी है। इस धारा पर वाद प्रस्तुत करने के लिये मियाद की अवधि 12 वर्ष है। प्रस्तुत प्रकरण में वदीगण विवादित आराजी के अभिलिखित काश्तकार खातेदार दर्ज है। प्रकरण में वादीगण द्वारा मद संख्या 6 में वादकारण दिनांक 29.07.2021 एवं 15.10.2022 को उत्पन्न होना अंकित किया है। हल्का पटवारी रिपोर्ट दिनांक 30.07.2021 को हस्ताक्षरित है जिससे इसका वाद कारण दिनांक 29.07.2021 को ही उत्पन्न होना माना जाना अधिक विधिसंगत है। अधिनियम की धारा 183 के अन्तर्गत वाद पेश करने की अवधि 12 वर्ष है अतः वादीगण का वाद मियाद अवधि में ही पेश हुआ माना जावेगा। तहसील, लाडपुरा की रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित है कि खसरा संख्या 1124 रकबा 1.77 हैक्टर भूमि पर से होकर मोडीबाई पत्नी कृपाशंकर व कृपाशंकर पुत्र भंवरलाल धोबी द्वारा पूर्व से आना जाना बताया गया है जबकि वर्तमान में उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई रास्ता दर्ज रिकार्ड नहीं है। इस प्रकार वादी के खेत पर जबरन रास्ता बना कर कब्जा किया होना अंकित होने से विवादित आराजी पर प्रतिवादीगण का कब्जा है। इस प्रकार वादीगण के खाते की आराजी पर प्रतिवादीगण के अतिक्रमी होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तहसील, लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1124, 1126 कुल किता 2 रकबा 2.40 हैक्टर की नियमानुसार पैमाईस की जाकर तथा प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाये जाने पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर, वादीगण को उनके खाते की आराजी का कब्जा संभलाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे, विवादित आराजी पर वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

6- निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 09 जनवरी, 2023 को लिखवाया और टंकित करवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(श्रीमती पार्वती)
सहायक कलेक्टर
सहायक कलेक्टर,
(मुख्यालय), कोटा
(मुख्यालय), कोटा

ACM (HQ), Kota

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (मुख्यालय) कोटा

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती पार्थवी, R.A.S.

मसनवान :-

1. रवि प्रकाश शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा
2. राहुल शर्मा पुत्र जगदीश प्रसाद शर्मा

जाति ब्राम्हण, निवासीगण मकान नम्बर 552, केशवपुरा सेक्टर–7, कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1. मोड़ी बाई पत्नी कृपा शंकर
2. कृपा शंकर पुत्र भंवरलाल
3. रामावतार पुत्र कृपा शंकर
4. शम्भूदयाल पुत्र कृपा शंकर
5. श्याम बिहारी पुत्र कृपा शंकर

जाति धोबी, निवासीगण 143, वार्ड नं. 5, ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 183, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 80A / 22
निर्णय दिनांक : 09-01-2023

GCMS id : 2022 / 143

न्यायालय हाजा में वादी की ओर से विद्वान वादी अभिभाषक श्री हुकमचन्द जैन की उपस्थिति में वाद पत्र की बहस अन्तिम सुनने के बाद आज तारीख 09–01–2023 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्रीमती पार्थवी, आर.ए.एस. के समक्ष पेश होने पर वादीगण के खाते की आराजी पर प्रतिवादीगण के अतिक्रमी होने के कारण वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार तहसील, लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा की आराजी खसरा नम्बर 1124, 1126 कुल किता 2 रकबा 2.40 हैक्टर की पैमाईस की जाकर तथा प्रतिवादीगण का अवैध कब्जा पाये जाने पर प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर, वादीगण को उनके खाते की आराजी का नियमानुसार कब्जा संभलाये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वे विवादित आराजी पर वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जे काश्त में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करें।

* खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री मेरे द्वारा लिखवाई / टंकित करवाई जाकर आज तारीख 09 जनवरी, 2023 को न्यायालय की मुद्रा तथा मेरे हस्ताक्षर से जारी की गई।

(श्रीमती पार्थवी)
सहायक कलक्टर
(मुख्यालय) कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदालत के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	______ रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
	जोड़			जोड़	